प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 18.12.2025

25000/- रुपये का इनामिया 01 नफर गैंगस्टर/अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक पिपराइच के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 560/25 धारा 2(ख) (1)(xi) (1) गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित 25000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त रूपेश सिंह पुत्र विद्या सिंह निवासी मंगलपुर थाना श्याम देउरा जिला महराजगंज को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर लूट व छिनैती का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 58/2024 धारा 392/411 भादवि व मु0अ0स0 737/2023 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 560/25 धारा 2(ख),1(xi),3(1उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

रूपेश सिंह पुत्र विद्या सिंह निवासी मंगलपुर थाना श्याम देउरा जिला महराजगंज

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 737/23 धारा 392/411 भादवि थाना पिपराईच गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 58/24 धारा 392/411 भादवि थाना पिपराईच गोरखपुर
3. मु0अ0स0 560/25 धारा 2(ख) (1)(xi) (1) गैंगस्टर एक्ट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्रेयांश राय थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 बृजेश कुमार सिंह थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
4. का0 बब्लू यादव थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर